IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

माध्यमिक स्तर पर समावेषी षिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के प्रति षिक्षकों के अभिमत का अध्ययन

डॉ. सरोज चौधरी

उप प्राचार्या

विवेक षिक्षक प्रषिक्षण महाविद्यालय, कालवाड़, जयपुर, राजस्थान

सारांष

प्रस्तुत अध्ययन में माध्यमिक स्तर पर समावेषी षिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के प्रति षिक्षकों के अभिमत का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में सर्वेक्षण विधि के माध्यम से 200 षिक्षकों से स्वनिर्मित प्रष्नावली का प्रयोग करते हुए आंकडों को एकत्रित किया गया तथा उनका विष्लेषण प्रतिषत के द्वारा किया गया है। अध्ययन के परिणाम यह स्पष्ट करते हैं कि लगभग 50 प्रतिषत से अधिक षिक्षकों के अनुसार, समावेषी षिक्षा विद्यार्थियों के विकास में सहायक है। षैक्षिक अधिकारियों द्वारा एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा सहयोग किया जाता है तथा सरकार द्वारा समय पर वितीय सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्य षब्दः– समावेषी षिक्षा, क्रियान्वयन, षिक्षकों का अभिमत।

प्रस्तावना

षिक्षा के क्षेत्र में समावेषी षिक्षा का अर्थ विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसका लक्ष्य सभी बच्चों को षैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता से है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम परीक्षण, छात्र की उपलब्धियों का रिकॉर्ड विभिन्न योग्यताओं के आधार पर छात्रों के समूह, षिक्षण, तकनीक, कक्षा के अंदर के किया–कलाप आदि के साथ ही खेल और मनोरचनात्मक क्रियाओं को भी षामिल किया जाता है।

समावेषन का अर्थ होता है– सम्मिलित करना। असमर्थ बच्चों को अन्य बच्चों के साथ षिक्षा में षामिल करना ही समावेषी षिक्षा है। सामान्य अर्थों में समावेषी षिक्षा को हम केवल निःषक्तजनों की षिक्षा समझते हैं पर समावेषी षिक्षा में निःषक्त की षिक्षा के साथ–साथ वे सभी बच्चे आते हैं जो समाज द्वारा किन्हीं कारणों से बहिष्कृत माने जाते हैं। समावेषी षिक्षा एक नवीन प्रत्यय है, इस प्रत्यय का आरंभ इस आधार पर हुआ कि षिक्षा प्रत्येक बालक का मूल अधिकार है और प्रत्येक बालक की विषेषताएं, रूचियां, योग्यता व आवष्यकता अलग–अलग होती है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए।

उमा तुली के अनुसार, समावेषी एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है।

माइकेल एफ. जिआनग्रेको के अनुसार, समावेषी षिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धान्तों और प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को चाहे, वे विषिष्ट हों अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक षिक्षा देने पर बल देता है।

स्टीफन तथा ब्लैकहर्ट के अनुसार, षिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों की सामान्य कक्षाओं के षिक्षण की व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीयकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है।

सलमांका कान्फ्रेन्स 1994 के अनुसार, एक समावेषी षिक्षा प्रणाली में विद्यालय को अन्य विद्यार्थियों के समान बनाना जिससे इन्हें अधिक से अधिक समाहित किया जा सके, दूसरे षब्दों में सभी बच्चों को उन्हीं के समुदाय में नियमित विद्यालयों में षिक्षा प्रदान की जाए।

द वर्ल्ड डिक्लेरेषन ऑन एजुकेषन फॉर ऑल, थाइलैण्ड 1990 के अनुसार, सभी की षिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चुनौतियों की पहचान कर समानता को प्रोत्साहित करना अर्थात् कि समावेषी षिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी सीखने वाले तक अपनी पहुंच को सुनिष्चित करना।

ड्रॉफ्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेषन स्कीम, डम्ब्क 2003 के अनुसार, समावेषी षिक्षा से तात्पर्य है कि सभी सीखने वाले युवा सामान्य एवं दिव्यांग विद्यालय में एक साथ सीखें एवं साथ ही सामुदायिक षैक्षणिक परिस्थिति, समर्थन सेवाओं के उचित नेटवर्क उपलब्ध कराया जाए।

बार्टन एवं आर्मस्ट्रांग के अनुसार, समावेषन करना तथा सर्वत्र बाहर रखना एक समान श्रेणियां नहीं होती। हर स्थिति अपने खुद के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैष्विक तथा संदर्भगत प्रभावों के द्वारा निर्मित की जाती है।

यूनिसेफ समावेषी षिक्षा के बारे में बतलाता है कि हम पारंपरिक विद्यालयों के लिए नियमित रूप से विद्यालय प्रणाली के भीतर सीखने के अवसर उन्हें उपलब्ध कराते हैं जो पारंपरिक रूप से बहिष्कृत है जैसे कि– दिव्यांग बच्चे या अन्य। यदि इन्हें विद्यालयों में अलग किया जाता है तो उचित षिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं जिससे वे समाज से अलग पड़ जाते हैं।

यूनेस्को के अनुसार समावेषी षिक्षा का तात्पर्य उस षिक्षा से है जो,

- यह विष्वास करती है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी बच्चों की अलग–अलग प्रकार की विषेषता आवष्यकता होती है।
- इसका लक्ष्य सीखने की कठिनाई की पहचान और उनका प्रभाव न्यूनतम करना है।
- इसका अर्थ औपचारिक षिक्षा से भी व्यापक है, यह घर, समुदाय एवं घर से बाहर षिक्षा से अन्य अवसरों पर भी बल देती है।
- अभिवृति, व्यवहारों, षिक्षण विधि, पाठ्यक्रम एवं वातावरण परिवर्तित करने की वकालात करता है।
- यह एक स्थिर गति से चलने वाली एवं गतिषील प्रक्रिया है और समावेषी समुदाय का प्रोन्नत करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न तरीकों का एक भाग है।
- इस प्रकार समावेषी षिक्षा एक व्यक्ति अथवा छात्र के लिए नहीं वरन् उन सभी छात्रों के लिए भी है जो सामान्य वातावरण में कार्य नहीं कर पाते। इनमें से कुछ षारीरिक रूप से अक्षम एवं अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं, इसलिए सभी स्थितियों में छात्रों को षैक्षिक समावेषन की आवष्यकता होती है।

NCF 2005 के अनुसार समावेषी षिक्षा की प्रमुख अवधारणाएं निम्न प्रकार हैं–

- समावेषी षिक्षा का महत्व सबको समाविष्ट करने से है।
- विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है इसे स्वीकार करना चाहिए।
- विकलांगता समाज निर्मित है– इसे तोड़े।
- समावेषन केवल विकलांग लोगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना होना है।
- सभी विषेष आवष्यकताओं वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेष को रोकने की कोई प्रकिया नहीं होनी चाहिए।
- समावेषन नीति में सहभागिता हमारी षक्ति है।
- षिक्षण के सभी अच्छे व्यवहार समावेषन नीति के पर्याय हैं।

इस प्रकार समावेषी षिक्षा से अभिप्राय है कि वह षिक्षा जिसमें दिव्यांग एवं अन्य सामान्य विद्यार्थियों को एक साथ एक ही कक्षा में भेदभाव रहित वातावरण में षिक्षा प्रदान की जाए। जिससे ये दिव्यांग विद्यार्थी सताज में आसानी से समायोजित हो जाए। जैसा कि एन.सी.एफ. 2005 में बताया गया है कि समावेषन की नीति को हर स्कुल और सारी षिक्षा व्यवस्था में लागू किए जाने की जरूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में वह चाहे स्कूल हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिष्चित किए जाने की आवष्यकता है। विद्यालयों को ऐसे केन्द्र बनाए जाए कि जहां बच्चों, खासकर षारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों, समाज के हाषिए पर जीने वाले बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को षिक्षा का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके।

अध्ययन का औचित्य

शिक्षा जीवन से अलग नहीं है। शिक्षा जीवन का एक पक्ष है, शिक्षा व्यक्ति की अन्तर्निहित शक्तियों को उजागर करती है। उसे देवत्व का दर्शन कराती है, मानवीय मूल्यों के अनुभूति का उसे अवसर प्रदान करती है, और स्वानुभूति का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा के द्वारा एवं शिक्षा के लिए सबको समान अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है। बालक कल के भविष्य हैं और शिक्षा उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक की व्यक्तिगत विशेषताओं, योग्यताओं, क्षमताओं को ध्यान में रखकर उनका संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक विकास करती है। बालकों के व्यवहारों में ऐसे परिवर्तन करती है जो स्वयं उनके लिए तथा समाज, राष्ट्र और सम्पूर्ण विश्व के लिए हितकर हो।

पूर्व काल में समाज के द्वारा विकलांग के प्रति उपेक्षित व्यवहार रहा है उन्हें समाज तिरस्कार और दया की दृष्टि से देखता था। और विकलांगों को समाज पर एक बोझ समझा जाता था। परन्तु समय के साथ परिवर्तन हुआ और समाज समझने लगा कि विकलांगों को भी सामान्य व्यक्तियों की तरह की आकांक्षा, इच्छाएँ तथा आवष्यकताएं होती हैं। उनको भी खुषी का अधिकार है, समान जीवन जीने का अधिकार है। उनको षिक्षा एवं जीवन की अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए समाज में परिवर्तन हो रहे हैं और समाज विकलांगों के प्रति काफी हद तक मित्रवत् दृष्टिकोण से पेष आ रहा है। जैसा स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने कहा था – "विकलांगों को दया नहीं, सहयोग की जरूरत है। उन्हें दान नहीं, बल्कि अपने अन्य मानव साथियों की भाँति अधिकार चाहिये।'' अषिक्षा तथा दीर्घकाल से चली आ रही सामाजिक उदासीनता और पूर्वाग्रह ने समस्या को जटिल बना दिया था। विचारों के बदले हुए आज के परिवेष में विकलांगों के बारे में अध्ययन की आवष्यकता को कौन नकार सकता है। देष की जनसंख्या का 5 प्रतिषत भाग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है। आवष्यकता इस बात की है कि विकलांगों की इन अनेक एवं विविध समस्याओं का पता लगाया जाए और समाज मे विकलांगों के प्रति चेतना जागृत की जाये। आजकल इस क्षेत्र में काफी अध्ययन हो रहे हैं परन्तु इतने नहीं जितने कि अन्य क्षेत्रों में हो रहे हैं। इस क्षेत्र में अध्ययन को विराट रूप दिया जाए तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

वर्तमान विश्व में कुल जनसंख्या के लगभग 10 प्रतिषत अर्थात 5 करोड़ लोग शारीरिक या मानसिक रूप से पूरे विश्व मे अक्षम पाये गये। विकसित और विकासशील देशों में लगभग 3.50 करोड विकलांग पहुंच से बाहर तथा किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने से वंचित है। विष्व स्वास्थ्य संगठन ने 1981 को वर्ष अंन्तराष्ट्रीय विकलांगता वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 1986 एवं 1992 की शिक्षा नीतियों में बालकों के स्वास्थ्य, शिक्षा एंव सामाजिक कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रमों का सुझाव दिया जिसके द्वारा विकलांगता को रोकने का प्रयास किया गया। हमारे समाज का नैतिक उत्तरदायित्व होना चाहिए की हम व्यक्तिगत स्तर पर इन बालकों के लिए योजनाओं का क्रियान्यवन एंव शिक्षा के लिए विभिन्न प्रावधानों का आयोजन करें।

संबंधित साहित्य का अध्ययन

1 कुमार, विरेन्द्र. (2018) ने वर्तमान समय में समावेषी षिक्षा की आवष्यकता एवं चुनौतियॉ पर षोध कार्य किया। इस षोध का प्रमुख उद्धेष्य भारतीय संदर्भ में समावेषी षिक्षा की वर्तमान समय में आवष्यकता एवं प्रमुख चुनौतियों का विष्लेषणात्मक अध्ययन करना था। इस षोध कार्य में तथ्यात्मक एवं संख्यात्मक वर्णन किया गया। परिणाम में यह प्राप्त हुआ कि विकलांग बच्चों की षिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और समाज को इनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

2 राजलक्ष्मी. (2018) ने इंक्लूसिव एजूकेषन इन इंडियाः चैलेन्जेज एण्ड प्रोस्पेक्ट्स विषय पर षोध किया। इस षोध का उद्धेष्य भारत में समावेषी षिक्षा में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना था। इस षोध कार्य में द्वितियक स्त्रोत के माध्यम से आंकडों को एकत्रित किया गया। इसके लिए विभिन्न पत्रिकाओं, आलेखों और षोध पत्रों का अध्ययन किया गया। आंकडों के विष्लेषण के पष्चात् यह पाया कि समावेषी षिक्षा को विद्यालयी परिस्थितियों में लागू करने में बहुत सी समस्याएं हैं जैसे– अपर्याप्त प्रषिक्षित षिक्षक, विद्यालयों का भौतिक स्वरूप, समुदाय का अपर्याप्त सहयोग आदि।

3 षर्मा, उर्मिला. एवं षर्मा, विजय सागर. (2018) ने समावेषी षिक्षा के प्रति बी एड प्रषिक्षणार्थियों की अभिवृति का अध्ययन पर षोध कार्य किया। इस शोध कार्य का उद्देश्य बी एड प्रषिक्षणार्थियों की समावेषी षिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। इस शोध कार्य के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में 100 बी एड प्रषिक्षणार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। टी परीक्षण के द्वारा आंकडों का सांख्यिकी विश्लेषण किया गया। षोध के निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि बी एड प्रषिक्षणार्थियों की समावेषी षिक्षा के प्रति अभिवृति ग्रमीण एवं षहरी क्षेत्र में समान पायी गयी जबकि षहरी क्षेत्र के छात्र–छात्राएं समावेषी षिक्षा के प्रति समान अभिवृति नहीं रखते हैं।

4 विष्वास, संतू (2018) ने एटीट्यूड ऑफ हाई स्कूल टीचर्स टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेषन पर षोध अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्धेष्य नोएडा के उच्च माध्यमिक षिक्षकों की समावेषी षिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करना था। इस षोध कार्य में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि एवं मात्रात्मक विष्लेषण का प्रयोग किया गया। न्यादर्ष के लिए नोएडा षहर के 104 षिक्षकों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। उपकरण के रूप में प्रमापीकृत प्रष्नावली का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि समावेषी षिक्षा के प्रति महिला एवं पुरूष षिक्षकों की अभिवृति में सार्थक अंतर था लेकिन षहरी–ग्रमीण एवं कला–विज्ञान संकाय के षिक्षकों की अभिवृति में सार्थक अंतर नहीं था।

5 गुप्ता, अग्निवेष. (2017) ने प्राथमिक षिक्षा के सार्वभौमिकरण में समावेषी षिक्षा की भूमिकाः आवष्यकता और प्रयास पर षोध किया। इस षोध का उद्धेष्य प्राथमिक षिक्षा को सार्वभौमिक बनाने में समावेषी षिक्षा की भूमिका एवं इसमें व्याप्त समस्याओं का अध्ययन करना था। इस षोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि समावेषी षिक्षा को सफल बनाने के लिए विषिष्ट षिक्षण–अधिगम प्रकिया एवं प्रभावषाली कक्षा–कक्ष प्रबन्धन की आवष्यकता है।

6 गुर्जर, मोनु सिंह (2017) ने ए स्टडी ऑफ सैकेण्डरी स्कुल टीचर्स अवेयरनेस टुवर्ड्स इनक्लूसिव एजुकेषन पर षोध कार्य किया। इस षोध का उद्धेष्य समावेषी षिक्षा के प्रति षिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन लिंग, विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्रीयता के आधार पर करना था। न्यादर्ष के लिए 120 षिक्षकों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। प्रदतों के संकलन हेतु स्वनिर्मित जागरूकता मापनी का प्रयोग किया गया। इस षोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। प्रदतों का विष्लेषण मध्यमान, प्रमाप विचलन एवं टी–परीक्षण के द्वारा किया गया। निष्कर्ष में यह प्राप्त हुआ कि समावेषी षिक्षा के प्रति महिला एवं पुरूष षिक्षकों की जागरूकता में विद्यालय के प्रकार के आधार पर अंतर नहीं पाया गया।

शोध के उद्देष्य

- माध्यमिक स्तर पर समावेषी षिक्षा के कियान्वयन में आने वाली समस्याओं के प्रति षिक्षकों के अभिमत का अध्ययन करना।

षोध विधि एवं प्रकिया

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में जनसंख्या के रूप में राजस्थान प्रान्त के जयपुर जिले में स्थित राजस्थान माध्यमिक षिक्षा बोर्ड से सम्बद्वता प्राप्त माध्यमिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों के षिक्षकों को सम्मिलित किया गया है। न्यादर्ष के लिए माध्यमिक स्तर के 200 षिक्षकों का चयन यादृच्छिक विधि के द्वारा किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में स्वनिर्मित प्रष्नावली का प्रयोग आंकड़ों का संकलन करने हेतु किया है। आंकड़ों का विष्लेषण प्रतिषत के माध्यम से किया गया है।

व्याख्या एवं विश्लेषण

- **माध्यमिक स्तर पर समावेषी षिक्षा के कियान्वयन में आने वाली समस्याओं के प्रति षिक्षकों का अभिमत :–**

- 100 : अध्यापकों ने स्वीकार किया कि उनकों समावेषी षिक्षा के लिए बनाई गई सभी नीतियों की जानकारी है।
- 87 : अध्यापकों ने स्वीकार किया कि समावेषी षिक्षा की नीतियों का विद्यालय में प्रभावी कियान्वयन हो रहा है जबकि 13 : अध्यापक इससे असहमत हैं।
- 75 : अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि समावेषी षिक्षा विद्यार्थियों के विकास में सहायक है जबकि 10 : अध्यापक इससे असहमत हैं तथा 15 : अध्यापक इस पर तटस्थ थे।
- 82 : अध्यापकों का यह मानना है कि विद्यालय प्रबन्धन समिति समावेषी षिक्षा को बढावा देने में सहायता करती है जबकि 18 : अध्यापक इससे असहमत हैं।
- 80 : अध्यापकों के अनुसार समावेषी षिक्षा के लिए बनायी गयी नीतियां दिव्यांग विद्यार्थियों के विद्यालय में समायोजन में सहायक है जबकि 20 : अध्यापकों के अनुसार ऐसा नही हैं।
- 100 : अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी वे दिव्यांग विद्यार्थियों की षिक्षा के प्रति सदैव संवेदनषील रहते हैं।
- 85 : अध्यापकों ने स्वीकार किया कि वे दिव्यांग विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्या को समझने का प्रयास करते हैं जबकि 15 : अध्यापक इस पर तटस्थ थे।
- 95 : अध्यापकों को समावेषी वातावरण में षिक्षण कार्य करना अच्छा लगता है। जबकि 5 : अध्यापकों ने कोई राय व्यक्त नहीं की।
- 78 : अध्यापकों ने स्वीकार किया कि वे कक्षा में षिक्षण कार्य के दौरान विषेष उपकरणों का प्रयोग दिव्यांग बालकों के लिए करते हैं जबकि 20 : अध्यापक इससे असहमत हैं तथा 2 : अध्यापक इस पर तटस्थ थे।
- 69 : अध्यापक समावेषी षिक्षा की अवधारणा से सहमत हैं जबकि 31 : अध्यापक इससे असहमत हैं।
- 28 : अध्यापकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय द्वारा दिव्यांग बालकों की पहचान और उनका एकीकरण करने के लिए गृह आधारित सर्वेक्षण किया जाता है जबकि 39 : अध्यापकों ने माना कि ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया जाता है तथा 33 : अध्यापक इस पर तटस्थ थे।
- 74 : अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृति समय पर प्राप्त होती है जबकि 26 : अध्यापक इससे असहमत हैं।
- 91 : अध्यापकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में दिव्यांग बालकों के लिए आवष्यक भौतिक सुविधाएं जैसे–रेम्प, पृथक् षौचालय, खुले एवं रोषनीदार कक्षा–कक्ष, इनडोर गेम्स आदि उपलब्ध हैं जबकि 9 : अध्यापक मानते हैं कि विद्यालय में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
- 68 : अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवष्यक षैक्षिक उपकरण जैसे– ब्रेल उपकरण, ऑडियो–विडियों उपकरण, व्हील चेयर, विषेष फर्नीचर आदि उपलब्ध हैं जबकि 15 : अध्यापकों का मानना है कि विद्यालय में आवष्यक षैक्षिक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं तथा 17 : अध्यापक इस पर तटस्थ थे।
- 74 : अध्यापकों का मानना है कि समावेषी षिक्षा के कारण दिव्यांग विद्यार्थियों में सामाजिकता की भावना का विकास होता है जबकि 17 : अध्यापक इससे असहमत हैं तथा 9 : अध्यापकों ने इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की।
- 76 : अध्यापकों ने स्वीकार किया कि समावेषी वातावरण के निर्माण में प्रधानाध्यापकों द्वारा सहयोग किया जाता है जबकि 16 : अध्यापक मानते हैं कि प्रधानाध्यापकों के द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया जाता है तथा 8 : अध्यापक इस पर तटस्थ थे।
- 48 : अध्यापकों ने स्वीकार किया कि दिव्यांग विद्यार्थियों को विद्यालय में व्यावसायिक प्रषिक्षण प्रदान किया जाता है जबकि 35 : अध्यापक इससे असहमत हैं तथा 17 : अध्यापक इस पर तटस्थ थे।
- 39 : अध्यापकों के अनुसार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए जबकि 53 : अध्यापकों का मानना है कि अलग पाठ्यक्रम की कोई आवष्यकता नहीं है तथा 8 : अध्यापक इस पर तटस्थ थे।
- 86 : अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि समावेषी षिक्षा के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों को समाज की मुख्य धारा में जोडा जा सकता है जबकि 14 : अध्यापक इससे सहमत नहीं हैं।
- 49 : अध्यापकों के सभी प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेषी षिक्षा उपयुक्त है जबकि 51 : अध्यापकों के अनुसार समावेषी षिक्षा सभी प्रकार की दिव्यांगता के लिए उपयुक्त नहीं है।
- 83 : अध्यापकों के अनुसार सामान्य विद्यालयों को समावेषी विद्यालयों में परिवर्तित करना एक अच्छा विचार है जबकि 17 : अध्यापक इससे असहमत हैं।
- 45 : अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक परामर्ष प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है जबकि 55 : अध्यापकों ने माना कि विद्यालय में यह सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।
- 57 : अध्यापकों के अनुसार विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा षिविर का आयोजन किया जाता है जबकि 43 : अध्यापक इससे असहमत हैं।
- 70 : अध्यापकों ने माना कि दिव्यांग विद्यार्थियों को समावेषी षिक्षा की नीतियों का पूर्ण लाभ मिल रहा है जबकि 30 : अध्यापकों के अनुसार दिव्यांग विद्यार्थी अभी भी असमे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं।
- 40 : अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि षैक्षिक अधिकारियों द्वारा समावेषी षिक्षा के विकास में सहयोग प्रदान किया जाता है जबकि 60 : अध्यापक इससे असहमत हैं।
- 67 : अध्यापकों के अनुसार समावेषी षिक्षा दिव्यांग विद्यार्थियों की षिक्षा एवं समाजीकरण के लिए आवष्यक हैं जबकि 18 : अध्यापक इससे असहमत हैं तथा 5 : अध्यापक इस पर तटस्थ थे।
- 65 : अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि विद्यालय में विषिष्ट षिक्षिकों की नियुक्ति की गयी है जबकि 24 : अध्यापकों ने माना कि विषिष्ट षिक्षकों का अभाव है तथा 11 : अध्यापकों ने कोई प्रतिकिया व्यक्त नहीं की।
- 78 : अध्यापकों के अनुसार विद्यालय द्वारा समय–समय पर अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यकम का आयोजन किया जाता है जबकि 22 : अध्यापक इससे असहमत हैं।
- 95 : अध्यापकों ने इस बात पर स्वीकृति दी कि विद्यालय द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को निःषुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवायी जाती है जबकि 5 : अध्यापक इससे असहमत हैं।
- 65 : अध्यापकों ने स्वीकार किया कि समावेषी षिक्षा की नीतियों को करने के लिए सरकार द्वारा समय पर वितीय सहायता प्रदान की जाती है जबकि 28 : अध्यापकों के अनुसार वितीय सहायता समय पर प्राप्त नहीं होती है तथा 7 : अध्यापक इस पर तटस्थ थे।

संदर्भ सूची

- आस्था (2011). प्राइमरी स्कूल टीचर्स अवेयरनेस ऑन ‘‘क्वबज 1995 एण्ड इनक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेषल नीड्स. प्दजमतदंजपवदंस रवनतदंस व िउनसजपकपेबपचसपदंतल ंदंहमउमदज ेजनकपमेण 2249.8834ए 1;1द्धए 65.70ण
- अखिलेष. (2019). उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अधिगम–षिक्षण प्रकिया का समावेषी षिक्षा मॉडल के संदर्भ में अध्ययन. अप्रकाषित लघुषोध प्रबन्ध
- अरोडा, किरण. (2019). इंक्लूसिव एजूकेषन इन इंडियाः द परसेप्षन्स ऑफ सेकेण्डरी स्कूल टीचर्स ण्परंतपपमण्बवउए 5;1द्धए 597.606ण
- गुर्जर, मोनु सिंह (2017). ए स्टडी ऑफ सैकेण्डरी स्कुल टीचर्स अवेयरनेस टुवर्ड्स इनक्लूसिव एजुकेषन. ‘‘बीवसंतसल तमेमंतबी रवनतदंस वित ीनउंदपजल ेबपमदबम – म्दहसपी संदहनंहमण 2348.3083ए 4;22द्धए 5740.5746
- राजलक्ष्मी. (2018). इंक्लूसिव एजूकेषन इन इंडियाः चैलेन्जेज एण्ड प्रोस्पेक्ट्स. प्दजमतदंजपवदंस रवनतदंस व िंचमबपंस मकनबंजपवदण 28;1द्धए 104.113ण
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005), एन.सी.ई.आर.टी. (नई दिल्ली)
- शर्मा, आर.ए. (2009) विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप, मेरठः सूर्या पब्लिकेशन।
- षर्मा, उर्मिला. एवं षर्मा, विजय सागर. (2018). समावेषी षिक्षा के प्रति बी एड प्रषिक्षणार्थियों की अभिवृति का अध्ययन. त्मेमंतबी तमअपमू पदजमतदंजपवदंस रवनतदंस व िपददवअंजपअम तमेमंतबी पद मदहपदममतपदह ंदक उनसजपकपेबपचसपदंतल चीलेपबंस ेबपमदबमए 6;5द्धए 38.42ण
- तकाला, प्रीतिमा. तथा टोरमेनन. (2009). इंक्लूसिव स्पेषल एजुकेषनः द रोल ऑफ स्पेषल एजुकेषन टीचर इन फीनलैण्ड. ठतपजपी रवनतदंस व िंचमबपंस मकनबंजपवदण 36;2द्धए 162.172ण

- यूनेस्को (1994)– दि सलमानका स्टेटमेंट एण्ड फ्रेमवर्क फार एक्षन ऑन स्पेषल नीड्स एजूकेषन पेरिस–यूनेस्को.
- उनियानु, मारिया. (2012). टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंक्लव एजूकेषन च्तवबमकपं .ैवबपंस ंदक ठमींअपवतंसैबपमदबमे 33 ;2012द्ध 900 दृ 904ण
- विष्वास, संतू (2018). एटीट्यूड ऑफ हाई स्कूल टीचर्स टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेषन. प्श्रत।त. प्दजमतदंजपवदंस श्रवनतदंस वि त्मेमंतबी ंदक ।दंसलजपबंस त्मअपमेूए 5;1द्धए 505.508.